



**भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

29 मार्च 2023

**भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023)					
(₹ करोड़)					
नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
5 अप्रैल 2023	6 अप्रैल 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
12 अप्रैल 2023	13 अप्रैल 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
19 अप्रैल 2023	20 अप्रैल 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
26 अप्रैल 2023	27 अप्रैल 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
3 मई 2023	4 मई 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
10 मई 2023	11 मई 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
17 मई 2023	18 मई 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
24 मई 2023	25 मई 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
31 मई 2023	1 जून 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
7 जून 2023	8 जून 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
14 जून 2023	15 जून 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
21 जून 2023	22 जून 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
29 जून 2023	30 जून 2023	12,000	12,000	8,000	32,000
कुल		1,56,000	1,56,000	1,04,000	4,16,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1937

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक